राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 760/2025

पुष्पेन्द्र सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. प्रधानाचार्य मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, अलवर।
4. अजय प्रताप, रेंजर II, वर्तमान में रेंज लक्ष्मणगढ़, अलवर में पदस्थापित।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 07.02.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी दिनांक 15.1.2025 और 16.1.2025 के आदेश को चुनौती दे रहा है जिसके तहत अपीलार्थी को रेंजर ग्रेड II, रेंज लक्ष्मणगढ़, डीसीएफ अलवर के पद से क्षेत्रीय वन अधिकारी, लीगल डीसीएफ, अलवर के पद पर केवल निजी प्रत्यर्थी को समायोजित करने के लिए और वह भी 10 महीने की अल्पावधि में स्थानांतरित किया गया है। 15.1.2025 के आदेश के अनुपालन में 16.1.2025 को यही आदेश जारी किया गया। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी रेंजर ग्रेड II के पद पर कार्यरत है तथा दिनांक 20.2.2024 के आदेश के अनुसार उसे वर्तमान पदस्थापना स्थान पर नियुक्त किया गया था तथा उसने 14.3.2024 को वर्तमान पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया तथा तब से वर्तमान पदस्थापना स्थान पर कार्यरत है। (अनुलग्नक–2 व 3) दिनांक 15.1.2025 के आदेश के तहत अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 4 के स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया और प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर नियुक्त किया गया और इस प्रकार यह प्रत्यर्थी संख्या 4 के लिए स्पष्ट रूप से सुविधा है क्योंकि अपीलार्थी को केवल 10 महीने की अल्पावधि में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन बंदोबस्त, डीसीएफ जयपुर के स्थान पर तैनात किया गया है, इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 4 ने भी आदेश को संशोधित करने के लिए अभ्यावेदन

प्रस्तुत किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आरोपित आदेश बिना सोचे–समझे जारी किया गया है और यह एक दोषपूर्ण आदेश है और इसे निष्पादित नहीं किया जा सकता है। दिनांक 15.1.2025 के आदेश में प्रतिवादी संख्या 4 का नाम दो स्थानों पर है, अर्थात् क्रम संख्या 125 और 137 पर। (अनुलग्नक–4)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 15.1.2025 और कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 16.1.2025 को अपास्त फरमाया जावे एंव अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर रेंजर ग्रेड II के पद पर रेंज लक्ष्मणगढ़, डीसीएफ अलवर में नियमित वेतन और सभी लाभों के साथ कार्यरत रखा जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य